

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-05/2023-173/स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 18-फरवरी, 2026
सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को मो0 85,28,461/- (पचासी लाख अठाईस हजार चार सौ एकसठ) रुपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955 दिनांक-15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1141 दिनांक-23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन में अधिष्ठापित विद्युत उपकरणों पर होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान विद्युत मद की राशि से नियमानुसार की जायेगी।

4. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन एवं अन्य संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं उपलब्ध कराये गए राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत प्रत्यार्पित राशि को पुनः वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत आवंटन की मांग की गयी है।

5. विमुक्ति की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

6. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या-35-योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष-2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

7. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विद्युत प्रभार तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी के नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 85,28,461/- (पचासी लाख अठाईस हजार चार सौ एकसठ) रुपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :-

अनुलग्नक-क				
विपत्र कोड-35-2235602000117 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन हेतु राशि की विवरणी				
(राशि रुपये में)				
क्र0	जिला का नाम	विषय शीर्ष		कुल आवंटित राशि
		विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-04 मद का नाम- विद्युत प्रभार	विस्तृत शीर्ष-27 विषय शीर्ष-02 मद का नाम-अनुरक्षण एवं मरम्मत	
1	सीतामढ़ी	60,000	0	60000
2	सारण	0	44,91,200	44,91,200
3	वैशाली	0	18,84,280	18,84,280
4	पूर्णियाँ	0	20,92,981	20,92,981
	कुल	60,000	84,68,461	85,28,461


(पचासी लाख अठाईस हजार चार सौ एकसठ रुपये)

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।
9. उक्त राशि की निकासी संबंधित विषय शीर्ष अन्तर्गत पूर्व निर्गत ओदश के अनुरूप ही खर्च होंगे। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य विषय शीर्ष के तहत नहीं किया जाएगा।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं भुगतान के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


(रविश किशोर) 18.2.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 173 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2026
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 173 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2026
प्रतिलिपि: विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 173 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2026
प्रतिलिपि: क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, सारण एवं पूर्णियाँ/जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढी, वैशाली, सारण एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 173 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2026
प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, सीतामढी, वैशाली, सारण एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 173 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2026
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 173 स्वी / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2026
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव